मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना दिनांक .....

क्रमांक ..... /मप्रविनिआ–2024. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 86 की उप–धारा(1)(छ) सहपठित धारा 181 की उप–धारा(2)(यत) के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त समस्त सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में क्रमांक 547–एमपीईआरसी–2010 दिनांक 03 मार्च, 2010 को अधिसूचित तथा दिनांक 12 मार्च, 2010 को प्रकाशित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2010 {आरजी–21(I), वर्ष 2010) को निम्नानुसार पुनरीक्षित करता है, अर्थात् :

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2024 {आर जी–21(II), वर्ष 2024}

प्रस्तावना

जबकि आयोग द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2010 को अधिसूचित किया गया था तथा यह जबकि इन विनियमों में कतिपय मुख्य परिवर्तन किये जाने आवश्यक हो गये हैं, अतएव इन विनियमों को पुनरीक्षित किया जा रहा है।

अध्याय एक

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभः

(एक) ये विनियम, **''मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2024 {आर जी–21(II), वर्ष 2024}''** कहलायेंगे।

(दो) ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे। तथापि, वित्तीय 2024–25 से आगे विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए पुनरीक्षित टैरिफ शुल्क अनुसूची–एक के अनुसार प्रयोज्य होंगे।

(तीन) ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के अन्तर्गत प्रभावशील होंगे।

अध्याय दो

परिभाषाएं

2. परिभाषाएं :

2.1 जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में :

(क) **''आयोग''** अथवा म.प्र.वि.नि.आ. से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ;

(ख) **''विद्युत अधिनियम''** अथवा **''अधिनियम''** से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम 2003 (अधिनियम 36 वर्ष 2003) ;

(ग) **''शुल्क''** से अभिप्रेत है, शुल्क जैसा कि अनुसूची में दर्शाया गया है।

(घ) **''अर्थदण्ड एवं/अथवा प्रभारों''** से तात्पर्य अर्थदण्ड एवं/अथवा प्रभारों से है जिसे आयोग अधिनियमों के अन्तर्गत आरोपित करने हेतु अधिकृत है ;

(ङ) **''कोष''** से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग कोष जिसे विद्युत अधिनियम धारा 103 के अन्तर्गत संस्थापित किया गया है ;

(च) **''उत्पादन कम्पनी''** से अभिप्रेत विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत दर्शाये गये अर्थ से है;

(छ) **''अनुज्ञप्तिधारियों''** से अभिप्रेत विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत आने वाले अनुज्ञप्तिधारी ;

(ज) **''विनियमों''** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2024 ; और

(झ) **''अनुसूची''** से अभिप्रेत इन विनियमों से संलग्न अनुसूची से है ;

2.2 समय–समय पर यथासंशोधित 'दी जनरल क्लॉज एक्ट, 1897' को इन विनियमों की व्याख्या हेतु लागू माना जाएगा।

अध्याय तीन

शुल्क

3. आवेदनों एवं याचिकाओं पर देय शुल्क :

एक. आयोग को प्रस्तुत प्रत्येक आवेदन, याचिका एवं अपील के साथ अनुसूची–एक में दर्शाये अनुसार शुल्क देय होगा। सह–याचिकाकर्ता यदि कोई हों, को मुख्य याचिकाकर्ता के समकक्ष शुल्क/प्रभारों का भुगतान करना होगा। तथापि केन्द्र/राज्य शासन द्वारा आवेदन/याचिका दायर किये जाने पर, उन पर किसी प्रकार के शुल्क/प्रभार उद्ग्रहित नहीं किये जाएंगे। वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को भी, उसी दशा में, जहां वे सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा खुदरा आपूर्ति टैरिफ के अवधारण के लिये याचिकाओं में सह–याचिकाकर्ता हों को पृथक शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी।

दो. याचिकाएं जिनमें दो या दो से अधिक सुस्पष्ट विषयों को सम्मिलित किया गया हो वहां याचिकाओं को इस प्रकार माना जाएगा जैसे कि वे पृथक–पृथक विषयों के लिये पृथक–पृथक दाखिल की गई है। ऐसी याचिकाओं पर प्रयोज्य

शुल्क अनुसूची–एक के अन्तर्गत देय शुल्कों की समेकित राशि के बराबर होगा।

तीन. इन विनियमों के अन्तर्गत देय शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट या पे–आर्डर जो ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग'' के पक्ष में भोपाल में देय होगा, के माध्यम से या ऑनलाईन पद्धति द्वारा करना होगा। यदि शुल्क की देय राशि एक लाख रूपये से अधिक हो तो इस राशि को इलेक्ट्रॉनिक अन्तरण पद्धति के माध्यम से मप्रविनिआ के बैंक, खाते में जमा किया जाएगा तथा इसकी सूचना आयोग को दी जाएगी। आयोग के बैंक खाते की पहचान के लिये ब्यौरा आयोग सचिव से या आयोग की वेबसाइट mperc.in से प्राप्त किया जा सकता है।

चार. आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत प्राप्त सम्पूण शुल्क राशि को आयोग के खाते में आकलित (क्रेडिट) किया जाएगा।

पांच. अनुसूची–1 के सरल क्रमांक 8 एवं 9 के अनुसार वार्षिक शुल्क प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक अग्रिम रूप से देय होगा। चूक की दशा में बकाया राशि पर 1% (एक प्रतिशत) की दर से प्रत्येक माह अथवा उसके अंश के लिये जब तक की शुल्क जमा न कर दिया गया हो, विलंब शुल्क देय होगा।

छः. उत्पादन कम्पनी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यदि बहुवर्षीय टैरिफ की अवधारण हेतु याचिका प्रस्तुत की गई हो तो अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार पूरी टैरिफ अवधि के लिये याचिका प्रस्तुत करते समय ही शुल्क जमा किया जा सकता है। विकल्पतः याचिका प्रस्तुत करते समय विनिर्दिष्ट दर के अनुसार प्रथम वर्ष के लिये भी शुल्क जमा किया जा सकता है। शेष टैरिफ अवधि के लिये शुल्क प्रत्येक वर्ष की 28 फरवरी तक शुल्क जमा किया जा सकता है। चूक की दशा में बकाया राशि पर 1% (एक प्रतिशत) की दर से प्रत्येक माह अथवा उसके अंश के लिये जब तक की शुल्क जमा न कर दिया गया हो, विलंब शुल्क देय होगा :

परन्तु यह कि वित्तीय वर्ष 2024–25 की टैरिफ अवधि के लिये केवल उत्पादन कम्पनी तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शुल्क की राशि दिनांक 31 मार्च 2024 तक जमा की जा सकेगी।

सात. कोई भी याचिका या प्रलेख/दस्तावेज जिसे विनियम की अनुसूची–1 के अनुसार आदेय (Chargeable) निरूपित किया गया हो, को आयोग के समक्ष दाखिल नहीं किया जा सकेगा जब तक यथा निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान न कर दिया जाए। जहां ऐसे शुल्क का भुगतान न किया गया हो या निर्धारित शुल्क से कम राशि का भुगतान किया गया हो वहां याचिकाकर्ता से उसे सूचित किये

जाने की तिथि से 15 दिवस के भीतर अपेक्षित शुल्क राशि/अवशेष शुल्क राशि जमा करने की मांग की जा सकती है। मांग की गई राशि जमा न किये जाने पर, ऐसी याचिका को आयोग द्वारा अपने स्वेच्छाधिकार के अन्तर्गत बिना सुनवाई किये लौटाया जा सकेगा।

अध्याय चार

अर्थदण्ड एवं/अथवा प्रभार

4.1. अर्थदण्ड एवं/अथवा प्रभार आरोपण :

एक. अधिनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन आयोग किसी विषय विशेष अथवा कार्यवाहियों में जो आयोग के समक्ष अथवा अन्य किसी भी समय पर विचाराधीन हो, किसी भी, व्यक्ति, उत्पादन कम्पनियों एवं अनुज्ञप्तिधारियों को अधिनियम के अन्तर्गत संरचित अधिनियम अथवा नियमों, विनियमों या संहिताओं अथवा निर्देश अथवा आदेश जो आयोग द्वारा समय–समय पर लागू किये गये हों, के अनुपालन न किये जाने की दशा में अथवा उनके उल्लंघन किये जाने पर आयोग द्वारा अर्थदण्ड एवं/अथवा प्रभारों के आरोपण की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी।

दो. आयोग अर्थदण्ड एवं/अथवा प्रभारों का परिमाण एवं सीमा का निर्धारण अन्य प्रासंगिक पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए, निम्न बिन्दुओं पर भी विचार करेगा :

- अनुपालन न किये जाने अथवा उल्लंघन का स्वरूप एवं उसका परिणाम
- अनुपालन न किये जाने अथवा उल्लंघन के फलस्वरूप उठाया गया दोषपूर्ण लाभ अथवा अनुचित सुविधा
- अनुपालन न किये जाने अथवा उल्लंघन के फलस्वरूप किसी/किन्हीं व्यक्ति(यों) को हुई हानि अथवा उत्पीड़न का स्तर
- अनुपालन न किये गये अथवा उल्लंघन की आवृत्ति का स्वरूप

तीन. जिस व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे अर्थदण्ड तथा/अथवा प्रभार आरोपित किया जाना प्रस्तावित है, उसे अर्थदण्ड/प्रभार आरोपित किये जाने से पूर्व आयोग ऐसे किसी अर्थदण्ड/प्रभार को लगाये जाने अथवा उसके परिमाण अथवा सीमा के स्वरूप के विरूद्ध ऐसे व्यक्ति को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।

.चार. आयोग ऐसे व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा जिसमें उक्त व्यक्ति के उत्तरदायित्व की सीमा जिसका उसके द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है अथवा उल्लंघन किया गया है का उल्लेख करते हुए उसे निश्चित सीमा अवधि

प्रदान कर पूछा जाएगा कि क्यों न उसके द्वारा अनुपालन न किये जाने के फलस्वरूप अथवा उल्लंघन किये जाने के कारण उसके विरूद्ध अर्थदण्ड तथा/अथवा प्रभार अधिरोपित न किये जाएं।

पांच. नोटिस के जवाब में, यदि उक्त व्यक्ति लिखित में अनुपालन न किया जाने अथवा उल्लंघन किये जाने की स्वीकारोक्ति प्रस्तुत करता है, तो आयोग उसे अभिलिखित करेगा तथा अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन ऐसे अर्थदण्ड तथा/अथवा प्रभार अधिरोपित कर सकेगा जैसा कि वह प्रकरण की परिस्थितियों के अन्तर्गत उचित समझे।

छः. यदि ऐसा व्यक्ति जिसे उप–खण्ड तीन के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है, कारण बताओ नोटिस का उत्तर नहीं देता अथवा अधिनियम या नियम या आयोग के आदेशों का अनुपालन न किये जाने को नकारता है अथवा उल्लंघन किये जाने को अस्वीकार करता है, तो आयोग प्रकरण में जांच–पड़ताल कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

सात. आयोग संतुष्ट होने पर कि प्रकरण में किसी प्रकार के अनुपालन में उल्लंघन अथवा अधिनियम, नियमों, विनियमों अथवा आदेशों का उल्लंघन नही हुआ है तो यह नोटिस को निरस्त करने की कार्यवाही करेगा अथवा जांच की दशा में आदेशों के उल्लंघन या अनुपालन में उल्लंघन पाये जाने पर आयोग ऐसा अर्थदण्ड या प्रभार आरोपित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

4.2. अर्थदण्डों एवं प्रभारों का भुगतान :

(एक) आयोग द्वारा आदेशित अर्थदण्डों तथा/अथवा प्रभारों का भुगतान आयोग द्वारा अर्थदण्ड अथवा प्रभार संबंधी जारी आदेश की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में अथवा आयोग द्वारा ऐसे आदेश में बढ़ाई गई अवधि के अन्तर्गत करना होगा।

(दो) अर्थदण्ड तथा/अथवा प्रभारों का भुगतान इन विनियमों के खण्ड 3 के उप–खण्ड (दो) में दर्शाई गई विधि द्वारा किया जाएगा।

(तीन) यदि आयोग द्वारा आदेशित अर्थदण्ड तथा/अथवा प्रभारों का भुगतान विनिर्दिष्ट अवधि में नहीं किया जाता तो उनकी वसूली भू–राजस्व के बकाया के आधार पर जाएगी।

4.3. अनुसूची–1 का संशोधन :

एक. आयोग अनुसूची–1 में दर्शाए गये शुल्क को समय–समय पर जोड़ने, संशोधन करने, बदलने अथवा राशियों के परिवर्तन करने के लिए अधिकृत होगा, जैसा कि वह उचित समझे।

अध्याय पांच

विविध

5. निरसन एवं व्यावृत्ति :

एक. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) विनियम, 2010 जो अधिसूचना क्रमांक 547–मप्रविनिआ–2010 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 12.03.2010 द्वारा जो विषयवस्तु को लागू हों, विनियम के सहपठित संशोधनों सहित को एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

दो. इन विनियमों की कोई भी बात आयोग को इस विनियम के प्रावधानों के अनुरूप किसी विषय या विषयों के वर्ग विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से यदि यह आवश्यक व उचित समझें तो ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा, जो इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रावधान से अन्यथा हो।

तीन. संशोधन करने के सामान्य अधिकार : आयोग किसी भी समय ऐसी शर्तों पर जिसे आयोग उचित समझे इन विनियमों में किसी भी प्रावधान का संशोधन जिनके उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से ये विनियम संरचित किये गये हैं, में संशोधन कर सकेगा।

चार. कठिनाइयां दूर करने के अधिकार : यदि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को मूर्तरूप देने में कठिनाई आती है तो आयोग किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा कोई भी सुधार भले वह अधिनियम के किसी प्रावधान से युक्तियुक्त न हो, जो आवश्यक प्रतीत होता हो अथवा कठिनाइयों को दूर करने में वांछनीय हो, संबंधी कार्यवाही कर सकेगा।

टीप– इस विनियम के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार

आयोग सचिव